प्रेसनोट –
दिनांक- 16.09.2026
थाना चिरैयाकोट, जनपद मऊ।

हत्या का सफल अनावरण, मामले में वांछित 02 नफर अभियुक्त गिरफ्तार, अभियुक्तगण के कब्जे से 02 तमंचा व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी मुहम्मदाबाद गोहना श्री जितेन्द्र सिंह के नेतृत्व में थाना चिरैयाकोट /रानीपुर/ मुहम्मदाबाद/ सर्विलांस /स्वाट टीम द्वारा दिनांक- 15/16.09.2026 की रात्रि अब्दोपुर जाने वाली पिच रोड के पास से मु0अ0स0 107/26 धारा 3(5), 103(1) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ से संबंधित अभियुक्तगण क्रमशः 1.मोहित कुमार उर्फ रितिक रोशन पुत्र लक्ष्मीकान्त निवासी तालभीतर थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर, 2.प्रदीप राम पुत्र मुन्नीलाल निवासी ग्राम जलालाबाद थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त मोहित कुमार के पास से एक तमन्चा व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर तथा अभियुक्त प्रदीप राम के पास एक तमन्चा व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया। विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का विवरण - अभियुक्तगण मोहित कुमार व प्रदीप राम उपरोक्त द्वारा बताया गया कि गोलू पुत्र बैजनाथ निवासी ग्राम जलालाबाद थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर के साथ अमिरहा गांव में शादी के कार्यक्रम में आये थे, जहा पर गोल्डी पुत्र हंसराज निवासी ग्राम लखनुआडीह थाना रानीपुर जनपद मऊ व गोलू उपरोक्त से रानीपुर क्षेत्र में वाद -विवाद हो गया था। उसी का बदला लेने के लिए दिनांक 14.09.2026 को शाम लगभग 05.00 बजे हम लोग व गोलू अपने और 5 – 7 साथियो के साथ सरसेना पेट्रोल पम्प के आगे काझा के पास घात लगाकर बैठे थे। जैसे ही गोल्डी व अनीश कुमार आये, उनसे वाद विवाद हो गया और उनके ऊपर असलहे से फायर कर दिये, जिससे अनीश कुमार को गोली लग गयी और उसकी मृत्यु हो गयी, तथा गोल्डी बच गया और भागते समय हड़बड़ाहट में मो0सा0 पल्सर वही पर छोड़ कर भाग गये थे। शेष अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित की गई है, गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोंग-

1.मु0अ0स0 107/26 धारा 3(5), 103(1) बीएनएस थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम-

1. मोहित कुमार उर्फ रितिक रोशन पुत्र लक्ष्मीकान्त निवासी तालभीतर थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर।

2.प्रदीप राम पुत्र मुन्नीलाल निवासी ग्राम जलालाबाद थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर।

गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान

1.दिनांक – 15/16.09.2026 की रात्रि

2.स्थान – अब्दोपुर जाने वाली पिच रोड के पास से।

बरामदगी का विवरण

1.अभियुक्त मोहित कुमार के पास से एक तमन्चा व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर।

2.अभियुक्त प्रदीप राम के पास एक तमन्चा व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर।

3.घटना में प्रयुक्त मो0सा0 पल्सर बरामद।

प्रेसनोट –

दिनांक- 16.09.2026

जनपद मऊ।

जनपद मऊ पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में दिनांक- 16.09.2026 को जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में विभिन्न थानो द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए अलग- अलग स्थानों से अभियुक्तों की गिरफ्तारी /बरामदगी व विभिन्न मामलों में वारंटी अभियुक्त को भी गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई।

थानावार कार्यवाही का विवरण

1.थाना रामपुर पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्तगण क्रमशः 1.देवनाथ पुत्र सम्पत निवासी ग्राम परासी नहरपुर थाना मधुबन हालपता - थाना रामपुर जनपद मऊ, 2.डब्लू पुत्र विरेन्द्र निवासी ग्राम परासी नहरपुर थाना मधुबन हालपता- थाना रामपुर जनपद मऊ, 3.शहबाज उर्फ बबलू पुत्र मुनौवर निवासी ग्राम मर्यादपुरथाना रामपुर जनपद मऊ।

2.थाना रानीपुर पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्तगण क्रमशः 1.हरेन्द्र यादव 2.कैलाश पुत्र रमाकान्त, 3.रमाकान्त यादव पुत्र बालचन्द्र यादव, 4. मुन्नर यादव पुत्र बालचन्द्र यादव निवासीगण ग्राम दवनसेपुर थाना रानीपुर जनपद मऊ।

3.थाना मधुबन पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्तगण क्रमशः 1.रामआसरे पुत्र मरछू, 2.गुलाबी देवी पत्नी रामनाथ निवासीगण ग्राम मटुरीलाल कटघरा महलू थाना मधुबन जनपद मऊ, 3. शिवसागर पुत्र कोमल निवासी ग्राम इब्राहीमाबा थाना मधुबन जनपद मऊ।

4.थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्तगण क्रमशः 1.प्रमोद कुमार पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम वाणीकोट अम्बेडकर नगर थाना कोतवाली नगर, 2.संजय पुत्र फुलबदन निवासी ग्राम पुरा अग्रवाल थाना कोतवाली नगर, 3.राजेन्द्र पुत्र मुन्नीलाल चौहान निवासी ग्राम बड़ी कम्हरिया थाना कोतवाली नगर, 4.धर्मेन्द्र सोनकर पुत्र स्व0 जेई सोनकर निवासी ग्राम भीटी अम्बेडकर नगर थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ।

5.थाना सरायलखंसी पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त अश्वनी कुमार पुत्र रोशन निवासी ग्राम राघवपट्टी थाना सरायलखंसी जनपद मऊ।

6.थाना मुहम्मदाबाद गोहना पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्तगण क्रमशः 1.गनपत यादव पुत्र छोटक यादव निवासी परासखाड थाना मु.बाद गोहना जनपद मऊ 2- बेचू प्रजापति पुत्र मिस्त्री प्रजापति निवासी बरईपुर थाना मु.बाद गोहना जनपद मऊ।

अभियुक्तगण उपरोक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।

***प्रेसनोट* –**

दिनांक- 16.09.2026

थाना कोतवाली नगर, जनपद मऊ।

नकबजनी के मामले में 15000/- रूपये का इनामिया वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री नितेश प्रताप सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा दिनांक 16.09.2026 को स्टेट बैंक परदहा से न्यायालय की तरफ जाने वाले रास्ते थाना कोतवाली क्षेत्र से मु0अ0सं0- 70/2026 धारा 331(4), 305(अ), 317(2), 111(2)(ब) बीएनएस, थाना कोतवाली नगर, जनपद मऊ में वाछिंत इनामिया (15000/- रुपये) अभियुक्त संजय वर्मा पुत्र स्व0 पारस वर्मा निवासी मोहल्ला रामगुलाम टोला, कसया रोड, थाना कोतवाली, जनपद देवरिया को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता

1. संजय वर्मा पुत्र स्व0 पारस वर्मा निवासी मोहल्ला रामगुलाम टोला, कसया रोड, थाना कोतवाली, जनपद देवरिया।

अपराधिक इतिहास-

1.मु.अ.सं. 70/2026 धारा 331(4), 305(ए), 317(2), 111(2)(बी) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ।

2.मु.अ.सं. 63/2016 धारा 380, 457 भादवि थाना कोतवाली जनपद देवरिया।

3.मु.अ.सं. 27/2026 धारा 305(ए), 317(2) बीएनएस थाना महाराजगंज जनपद अयोध्या।
4.मु.अ.सं. 233/2025 धारा 111(2)(बी), 305(ए), 317(2), 317(4), 331(4) बीएनएस थाना सरायलखंसी जनपद मऊ।
5.मु.अ.सं. 57/2026 धारा 111(2)(बी), 305(ए), 317(2), 317(4), 331(4) बीएनएस थाना सरायलखंसी जनपद मऊ।
6.मु.अ.सं. 134/2024 धारा 380, 411, 457 भादवि थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर।
7.मु.अ.सं. 136/2024 धारा 380, 411, 457 भादवि थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर।

गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान

1.दिनांक- 16.09.2026
2.स्थान - स्टेट बैंक परदहा से न्यायालय की तरफ जाने वाले रास्ते थाना कोतवाली क्षेत्र।

प्रेसनोट –
दिनांक- 16.09.2026
साइबर क्राइम पुलिस थाना, जनपद मऊ।

*** साइबर क्राइम पुलिस थाना जनपद मऊ साइबर पुलिस टीम द्वारा CEIR पोर्टल के माध्यम से गुम/खोये हुए कुल 08 अदद स्मार्ट मोबाइल फोन कीमत लगभग- 2,54,892/- को बरामद कर वापस कराया गया***

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में गुम हुए मोबाइल फोन की बरामदगी के उद्देश्य से चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री नितेश प्रताप सिंह के कुशल नेतृत्व में साइबर क्राइम पुलिस थाना टीम द्वारा दिनांक 16.09.2026 को गुम/ खोये हुए 08 अदद स्मार्ट मोबाइल फोन कीमत- 2,54,892/- (दो लाख चौवन हजार आठ सौ बानवे रूपया) को सीईआईआर पोर्टल के माध्यम से उसके मालिक को तस्दीक कर सुपुर्द किया गया।

***विवरण*-**

1.ओम प्रकाश पुत्र पब्बर निवासी टेघना बोझी थाना घोसी जनपद मऊ - दो अदद मोबाइल VIVO Y27 (कीमत (29,999+28,499) = 58,498/- रूपये)
2.आलोक कुमार गोंड पुत्र रमाकान्त गोंड निवासी भीमहर सेमराजपुर थाना हलधरपुर जनपद मऊ- एक अदद मोबाइल REDMI A2 (कीमत 28,999/- रूपये)

3.रामनिवास पाल पुत्र रामअधार राम निवासी नसीरपुर थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ- एक अदद मोबाइल VIVO Y28 (कीमत 31,999/- रूपये)

4. सैफुर्रहमान पुत्र मो0 शकील अख्तर निवासी छित्तनपुरा थाना कोतवाली जनपद मऊ- एक अदद मोबाइल VIVO V29 (कीमत 47,899/- रूपये)

5. जितेन्द्र यादव पुत्र मुरलीधर यादव निवासी ताजोपुर थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ- एक अदद मोबाइल REALME (कीमत 29,999/- रूपये)

6.मन्नान अली पुत्र साजिद अली निवासी मौधिया थाना सादात जनपद गाजीपुर- एक अदद मोबाइल OPPO A59 (कीमत 21,499/- रूपये)

7. रूकसार पुत्री नजरन निवासी पीपीगंज वार्ड नं0-04 बापू नगर थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर पाल पता भीटी थाना कोतवाली जनपद मऊ- एक अदद मोबाइल MOTOROLA G96 (कीमत 35,999/- रूपये)

मऊ पुलिस आमजन से अपील करती है किं मोबाइल फोन गुम होने की स्थिति में तत्काल CEIR पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराये अथवा साइबर हेल्पलाइन नम्बर 1930 पर सम्पर्क करें जिससे त्वरित कार्यवाही कर गुमशुदा मोबाइल की बरामदगी सुनिश्चित की जा सके।

***प्रेसनोट* –**

दिनांक- 16.09.2026

जनपद मऊ।

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में दिनांक 16.09.2026 को जनपद मऊ के समस्त थाना क्षेत्रान्तर्गत संदिग्ध व्यक्तियों/ वाहनो व यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध व्यापक चेकिंग अभियान चलाया गया

इस अभियान के अंतर्गत 27 टीम गठित कर जनपद के 27 स्थानों पर बदल बदलकर लगभग 1510 सदिग्ध वाहनो/व्यक्तियो को चेक किया गया जिसमें यातायात के नियमों का पालन न करने पर 465 वाहनों को विभिन्न धाराओ में चालान व 01 वाहनो को सीज किया गया, साथ ही साथ अन्य लोगों को हिदायत भी दी गयी तथा यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु वाहन चालकों को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील की गई है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें एवं गलत स्थानो पर पार्किंग नही करे तथा सुरक्षित यातायात में सहयोग प्रदान करें।